न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या –97/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/157

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार, कुचामनसिटी		1. प्रभुराम पुत्र उदाराम 2. भंवरी पुत्री उदाराम 3. छोटी पुत्री उदाराम 4. पप्पुराम पुत्र सुजी देवी पुत्री उदाराम 5. प्रकाश पुत्र सुजी देवी पुत्री उदाराम 6. राजूदेवी पुत्री सुजीदेवी पुत्री उदाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासी उगरपुरा तहसील कुचामन सिटी

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गोड़ उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 07.09.2022**

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत श्री उदाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवंशी निवासी उगरपुरा को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ 315 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण राजस्व मामला प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–4 से 6 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 04.05.2022 एवं अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील अप्रार्थी द्वारा श्री ओमप्रकाश गोड़ द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 02.08.2022 अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाब देही बंद की गई।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री उदाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवंशी निवासी उगरपुरा को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ 315 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका नामान्तरण संख्या 65 द्वारा राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जाकर गैर खातेदारी में दर्ज है।

पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार समस्त अप्राथीगण आज दिन जीवित है तथा वयस्क है। उक्त आवंटन के पश्चात आवंटी व आवंटी के वारिसान द्वारा न तो आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा किया गया और न ही आदिनांक तक काश्त की है। इस प्रकार आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। खसरा गिरदावरी की नकले आवेदन के साथ प्रस्तुत की हुई है, जिनके अनुसार संवत् 2036 से 2038, 2058 से 2061, 2064 से 2075 एवं वर्ष 2077 में काश्त दर्ज नहीं है। केवल मात्र संवत् 2076 में काश्त दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आदिनांक तक भी कब्जा कास्त नहीं करने पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के तहत माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर डीडवाना को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उक्त आवंटित भूमि राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर डीडवाना के प्रकरण संख्या 17/06 सरकार बनाम उदाराम निर्णय दिनांक 31.01.2007 के अनुसार प्रकरण अति, तहसीलदार कुचामनसिटी को पुनः प्रेषित कर अप्रार्थी उदाराम के कायम मुकामान रेकर्ड पर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

लिये जाकर पुनः कार्यवाही प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रार्थी उदाराम के कायम मुकामान जरिये नामान्तरण संख्या 702 दिनांक 03.06.2021 राजस्व रैकर्ड में दर्ज किए जाकर पुनः निवेदन है कि ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किरम बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर का श्री उदाराम पुत्र खांगाराम को तत्समय किया गया आवंटन निरस्त कर उक्त आवंटित भूमि राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावे।

वकील श्री ओमप्रकाश गौड़ ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में कथन किया कि आवेदन के पैरा सं. 1 व 2 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है।

अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त वक्त आवंटन से लेकर आज दिन तक लगातार रहता चला आया है। अप्रार्थीगण ने आवंटन शर्तों की पूर्ण रूप से पालना की है। अप्रार्थीगण ने आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना की है तथा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त करते आ रहे है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है। इस कारण ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता व न ही ऐसी मौका रिपोर्ट विधि अनुसार मान्य है। आज दिन ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 370/216 कुल रकबा 1.62 हैक्टर में बाजरे की फसल बोई हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त फरमाया जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका दिखवाया जाये तो सही स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर आयेगी।

प्रार्थी ने आवेदन के पैरा सं. 5 में प्रकरण संख्या 17/06 सरकार बनाम उदाराम निर्णय दिनांक 31.01.2007 का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रकरण में अति. जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा प्रकरण तहसीलदारजी कुचामनसिटी को रिमाण्ड किया गया था, किन्तु उसकी पालना में तहसीलदार जी कुचामनसिटी द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है उस का भी कोई खुलासा विवरण आवेदन में नहीं दिया गया है।

आवंटन नियमों के तहत गैर खातेदारी दिये जाने के 10 वर्षो पश्चात उक्त गैर खातेदार स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाता है एवं खातेदारी मिलने के पश्चात् उक्त नियमो के तहत खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। हल्का पटवारी द्वारा संवत् 2076 में गिरदावरी में अप्रार्थीगण की काश्त का अंकन किया गया है। अप्रार्थीगण की काश्त निरन्तर एवं निर्बाधरूप से है। हल्का पटवारी द्वारा शेष वर्षों में काश्त का अंकन क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। इसके अलावा वक्त आवंटन से अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त निरंतर रहता चला आया है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय खर्चा हर्जा खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री उदाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवंशी निवासी उगरपुरा को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ 315 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका नामान्तरण संख्या 65 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर गैर खातेदारी में दर्ज होने का तथ्य निर्विवादित है। पटवारी रूपपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 है. किस्म बा.2 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि बंजर (पड़त) है। मौके पर किसी प्रकार की फसल नहीं है एवं मौके पर गैर खातेदारान व उनके वारिसान का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2036 से 2038, 2058 से 2061, 2064 से 2075 एवं वर्ष 2077 में काश्त दर्ज नहीं है, केवल मात्र संवत् 2076 में काश्त दर्ज है। इस प्रकार पटवारी मौका रिपोर्ट एवं उक्त खसरा गिरदावरियों से प्रार्थी का कथन कि उक्त आवंटन के पश्चात आवंटी व आवंटी के वारिसान द्वारा न तो भूमि पर आदिनांक तक कब्जा किया गया और न ही आदिनांक तक काश्त की है, जो आवंटन की शर्त का उलघंन है। वकील अप्रार्थी द्वारा मौके पर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

आंवटी/अप्रार्थी संख्या–1 का लगातार कब्जा काश्त होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं प्रार्थी के आवेदन का निरस्त करने बाबत जिस प्रकार के कथन किये वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत हस्तगत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 370/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री उदाराम पुत्र खांगाराम जाति मेघवंशी निवासी उगरपुरा को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ 315 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा आवंटित की गयी थी, उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है। भूमि की राजस्व रिकार्ड में, आवंटन से पूर्ववत की स्थिति बहाल कर उक्त भूमि राजहक मे ली जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष सेमारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर